




COLLEGE OF AGRICULTURE - LALSOT

(Sri Karan Narendra Agriculture University-Jobner)

कृषि महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा (राज.) – 303511



Dr. D. K. Yadav
DEAN

Mob. No. - 7976144702

Email: dean.coalalsot@sknau.ac.in

No F. /Esstt/ACL/2026/58

Date: 28-04-2026


खुली निविदा सूचना

कृषि महाविद्यालय पर हिस्सा आधारित खेती के लिए खरीफ 2026 व रबी 2026-27 के लिए दिनांक 07.05.2026 को दोपहर 12.00 बजे तक निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं एवं निविदाएं उसी दिन अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, लालसोट कार्यालय में दोपहर बाद 12.30 बजे खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र एवं शर्तों की जानकारी महाविद्यालय से पाँच सौ रु. जमा कराके प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र के साथ चौबीस हजार रु. धरोहर राशि जमा करवानी होगी। निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेबसाइट www.sknau.ac.in एवं राज्य सरकार की वेबसाइट <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर अपलोड कर दी गई हैं। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार कमेटी को होगा।

अधिष्ठाता

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. श्रीमान् वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति को खोली जानी वाली दिनांक 07.05.2026 को अपना प्रतिनिधि भेजने का श्रम करावें।
2. श्रीमान् अध्यक्ष, निविदा समिति कृषि महाविद्यालय—लालसोट (दौसा)
3. श्रीमान् राजस्थान संवाद, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति को राज्य स्तरीय अंक में प्रकाशित कर बिल इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।
4. सीमका ईंचार्ज श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय, की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
5. डॉ. जे. के गुप्ता, सहायक आचार्य को भेजकर सुचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय, की वेबसाइट व राज्य सरकार की वेबसाइट <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करने के साथ-साथ स्थानिय स्तर पर व्यापक प्रचार करावें।
6. सूचना पट्ट, कार्यालय
7. आरक्षित प्रति


अधिष्ठाता
College Of Agriculture
SKN Agriculture University, Jobner
Lalsot (Dausa)

कृषि महाविद्यालय-लालसोट
(एस.के.एन.राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर)

निविदा सूचना क्रमांक: क्रमांक/एफ/फार्म/कृमला /2026/58


दिनांक 28.04.2026

1. योजना का नाम :	हिस्सा आधारित खेती		
2. बजट हेड	रिवोल्विंग फंड		
3. कार्य की अनुमानित अवधि	खरीफ 2026 व रबी 2026-27		
4. निविदा फार्म का मूल्य	500/-रुपये		
	रसीद नं.	दिनांक	
5. धरोहर राशि की प्रकृति व राशि	24000/-रुपये		
6. निविदादाता/ कोन्ट्रेक्टर द्वारा किये जाने वाले कार्य का विवरण:			
गेहूँ, जौ, चना, मूंगफली, ग्वार, मूंग, उड़द, बाजरा व अन्य फसलें	विवरण	हिस्सेदारी	प्रतिशत
	दाना/बीज	कोन्ट्रेक्टर द्वारा रखा जाने वाला हिस्सा	-
	उपज	कोन्ट्रेक्टर द्वारा महाविद्यालय को दिया जाने वाला हिस्सा	
सरसों /तारामिरा	दाना/बीज	कोन्ट्रेक्टर द्वारा रखा जाने वाला हिस्सा	
	उपज	कोन्ट्रेक्टर द्वारा महाविद्यालय को दिया जाने वाला हिस्सा	

नोट:-चारा उपज का सम्पूर्ण हिस्सा कोन्ट्रेक्टर द्वारा रखा जावेगा।

निविदा शर्त:-

1.	ट्रेक्टर सम्बन्धी कार्य तथा डिस्क प्लारू, हेरो, कल्टीवेटर द्वारा भूमि जुताई कार्य, सीड ड्रिल द्वारा बुवाई, फर्टीलाइजर ड्रिलिंग कार्य आदि की व्यवस्था केन्द्र द्वारा ही की जावेगी अर्थात इनसे सम्बन्धित डिजल खर्च में निविदादाता का कोई योगदान नहीं रहेगा। सीड ड्रिल व अन्य फार्म मशीनरी व औजर केन्द्र पर उपलब्ध नहीं होने पर निविदादाता को व्यवस्था करनी होगी।
2.	बुवाई के दौरान एवं फसल वृद्धि के दौरान लगने वाले बीज, खाद एवं उर्वरक, खरपतवारनाशक, फंफूदनाशक, कीटनाशक, कल्चर आदि की आपूर्ति केन्द्र द्वारा ही की जायेगी व प्रति है. फार्म अधिकारी की सिफारिश के अलावा देय नहीं होगी। केन्द्र पर स्थित ट्रेक्टर का वाहन चालक कार्य निविदादाता को करना होगा।
3.	बुवाई से लेकर फसल थ्रेसिंग एवं गोदाम तक तोलकर रखवाने तक की प्रक्रिया में लगने वाले श्रमिक व्यय निविदादाता को ही वहन करने होंगे।
4.	निविदादाता को सिंचाई सम्बन्धी पाइप, फब्वारे, बेंड, टी, डाट आदि गिनकर लिखित रूप में प्राप्त करने होंगे तथा कार्य समाप्त होने तक सारी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी एवं उतनी ही संख्या में गिनकर ही लौटाने होंगे। नहीं लौटाने पर इनकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
5.	विभिन्न प्रकार की सस्य क्रियार्ये फार्म मैनेजर, फार्म इन्चार्ज व अधिष्ठाता के निर्देशानुसार करनी होंगी तथा सारा श्रमिक व्यय एवं लगने वाले औजारों की व्यवस्था निविदादाता को ही वहन करनी होगी।




6.	निविदादाता को दिया जाने वाला उपज का हिस्सा जिन्स या रुपये के रूप में दिये जाने का निर्णय अधिष्ठाता द्वारा किया जाएगा व निविदादाता को पूर्ण मान्य होगा। थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होने वाले बीज उत्पाद के बंटवारे के बाद कोन्ट्रेक्टर को उन फसलों का फसल थ्रेसिंग के समय उपज मंडी के एक सप्ताह पूर्व तथा एक सप्ताह बाद के औसत भाव के आधार पर उसके हिस्से के उत्पाद का भुगतान कर दिया जायेगा।
7.	फार्म पर कृषि कार्यों के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने, सांप काटने, बिजली से व अन्य किसी उपकरणों से या लापरवाही से दुर्घटना होने पर अधिष्ठाता व केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
8.	फार्म पर स्थित तारबंदी की मरम्मत का कार्य समय समय पर निविदादाता को ही करनी होगी। केन्द्र अलग से कोई भुगतान नहीं करेगा।
9.	फसल कटाई के मामलों में कटी हुई फसलों को कहां इकठ्ठा करना है व कितने ढेर बनाने हैं इसके लिए फार्म मैनेजर व अधिष्ठाता से सम्पर्क करना होगा तथा प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों को देखते हुये फसल इकठ्ठा करने के लिये ट्रेक्टर ट्राली की सुविधा केन्द्र द्वारा दी जा सकती है परन्तु यह शर्त केन्द्र के लिये बाध्य नहीं होगी।
10.	निराई गुड़ाई, कटाई, थ्रेसिंग तथा अन्य सम्बन्धित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुये निविदादाता को करने होंगे। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार फार्म मैनेजर, फार्म इन्चार्ज व अधिष्ठाता को होगा।
11.	फसल की थ्रेसिंग के पश्चात साफ किये फसल उत्पादन को बोरियों में भरकर फार्म मैनेजर, फार्म इन्चार्ज व अधिष्ठाता द्वारा बताये अनुसार तोलकर गोदाम में बोरियों की धांग निविदादाता को लगानी होगी। वजन तोलते समय नमी एव कचरा का 2 प्रतिशत काटा जावेगा।
12.	थ्रेसिंग पश्चात बोरियों में भरते समय ध्यान रखें कि किसी भी बोरी का वजन 1 किंवटल से अधिक नहीं हो।
13.	थ्रेसिंग में लगे मशीनरी का खर्चा एवं डीजल खर्च स्वयं निविदादाता द्वारा वहन करना होगा तथा थ्रेसिंग कार्य कार्यालय समय में ही होगा।
14.	पम्प व ट्यूब वैल मोटर ओपरेशन निविदादाता को ही करना होगा। ट्यूब वैल मोटर जलने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। ट्यूब वैल मोटर जलने पर निविदादाता को ही सही करवानी होगी तथा ट्यूब वैल मोटर को बोरीग से निकालने का सभी तरह का व्यय भी निविदादाता को ही करना होगा।
15.	ट्यूब वैल के विद्युत बिल का भुगतान केन्द्र फार्म द्वारा वहन किया जायेगा। अन्य साधन से सिंचाई करने पर व्यवस्था स्वयं निविदादाता को करनी होगी।
16.	फार्म कार्य संतोषजनक नहीं होने पर निविदा को निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा जो कि कोन्ट्रेक्टर को मान्य होगा।
17.	आवास की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी। कार्यालय द्वारा कोई सुविधा देय नहीं होगी।
18.	जमा धरोहर राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।
19.	थ्रेसिंग कार्य में बताये अनुसार थ्रेसर लगाकर कार्य करवाना होगा एवं केन्द्र की थ्रेसर उपलब्ध नहीं होने पर निविदादाता को अपने खर्चे से थ्रेसिंग कार्य करवाना होगा।
20.	फार्म की फसलों की रखवाली दिन-रात की निविदादाता द्वारा की जावेगी। केन्द्र जिम्मेदार नहीं होगा।
21..	सफल निविदाता को पांच सौ रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर शपथ देना होगा।
22.	फार्म पर बुवाई क्षेत्र के आसपास खरपतवार व अन्य अंवाछित, पौधे निकालने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। पौधे नहीं निकालने पर लगने वाली मजदूरी का भुगतान निविदादाता से वसूला जावेगा।

23.	निविदादाता को प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर करने होंगे।
24.	प्रथम वरीयता प्राप्त पार्टी द्वारा कार्य नहीं संभालने पर ठेका निरस्त करके अगली वरीयता पार्टी को कार्य का आदेश अधिष्ठाता दे सकेंगे। अनुबंध की अवधि आदेश की तारीख से एक साल तक के लिए मान्य होगी। अनुबंध की अवधि कार्य संतोषजनक होने पर आपसी सहमति से अगले एक साल के लिए और बढ़ाई जा सकती है।
25.	निविदादाता की कोई शर्त मान्य नहीं होगी तथा निविदादाता या उसके मजदूर केन्द्र फार्म पर मदिरा व अन्य नशा सामग्री का उपयोग नहीं करेंगे।

मुझे निविदा की समस्त शर्तें मंजूर हैं तथा
मैं उपरोक्त शर्तों पर कार्य करने के लिये सहमत हूँ।

कॉन्ट्रैक्टर के हस्ताक्षर व पता दिनांक सहित


अधिष्ठाता
JEAN
College Of Agriculture
SKN Agriculture University, Jobna,
Lalsot (Dausa)